

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि/2020पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 07 SEP 2021

परिपत्र

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम.....(भवन विनियम)} 2020 की अनुसूची-3 विद्याधर नगर योजना (जयपुर) भवन विनियम पार्ट-11 ग्रुप हाउसिंग डवलपमेन्ट सामान्य मानदण्ड के बिन्दु संख्या -3 एवं 12.3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

4. सैटबैक मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम.....(भवन विनियम)} 2020 की तालिका-1 के प्रावधानानुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

12.3 बालकनी, "मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम.....(भवन विनियम)} 2020" के विनियम -10.10 के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—१०—

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम